

निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प देवरीजोध  
द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी छीपाबडीद जिला बारा  
प्रकरण संख्या :- 80/2017 दावा  
दायरा दिनांक :- 47.04.2017  
निर्णय दिनांक :- 24.06.2017

### उन्वान

कजोडीबाई पुत्री बेनगा जाति लोधा निवासी अमरपुरा तहसील छीपाबडीद

### बनाम

राज्य सरकार जयें तहसीलदार छीपाबडीद जिला बारा


वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :- 24.06.2017

अभिभाषक उपस्थित :- 1. श्री ललित कुमार शर्मा

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख0नं0 176 रकवा 10 बीघा 07 विस्वा, ख0 नं0 177 रकवा 212 बीघा मौजा बाबड मे स्थित हैं जो वादनी के खातेदारी एव कब्जे काश्त में दर्ज हैं। उक्त वर्णित आराजियात की सीमा व मेड के संबन्ध में पडौसी काश्तकारों से हमेशा विवाद बना रहता है तथा पडौसी काश्तकार वादी के खाते व कब्जे की भूमि की मेडे तोडने के लिए प्रयासरत रहते है इसलिए वादी उक्त विवाद को हमेशा के लिए खत्म करवाना चाहता है। दिनांक 03.05.2013 को उक्त वर्णित आराजियात के आसपास के व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तो वादी ने मना किया तो उन्होने आयन्दा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 03.05.2013 को उक्त वर्णित आराजियात पर पडौसी काश्तकारों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास करने पर तथा उसी दिन वादी द्वारा प्रतिवादी से विवादित आराजियात का सीमा ज्ञान करने से मना करने पर उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जयें सम्मन तलव किया गया। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बाबड संवत 2066-69 खाता संख्या 6, नकल नक्शा टेस पेश किया गया। पक्षकारान को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किये गये। वादी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प देवरीजोध पर उपस्थित हुआ। वादी का कथन है कि विवादित आराजी वादी के खातेदारी की हैं। पडौसी खातेदारान जबरन मे तोडकर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी : सीमाज्ञान करवा पत्थरगढी करवाना चाहता हैं। जिससे पडौसी काश्तकारों से किसी प्रकार का व विवाद उत्पन्न नहीं हो सके। प्रतिवादी पैरोकार सरकार का कथन है कि वादी आपने खाते की आर का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी करवाना चाहता है तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।


  
उपखण्ड अधिकारी  
छीपाबडीद जिला बारा

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय को शून्य मूल्य पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया।  
संवर्द्धन प्रकल्प अन्तर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय को शून्य मूल्य पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया।  
राष्ट्रीय को शून्य मूल्य पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया।  
अंतर्राष्ट्रीय को शून्य मूल्य पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया।

**क्रियात्मक कार्य**

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय को शून्य मूल्य पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया।  
संवर्द्धन प्रकल्प अन्तर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय को शून्य मूल्य पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया।  
राष्ट्रीय को शून्य मूल्य पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया।  
अंतर्राष्ट्रीय को शून्य मूल्य पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया।

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय को शून्य मूल्य पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया।



## डिक्री

संख्या 80/2017	धारा अन्तर्गत 89, RTA	निर्णय दिनांक : 24.06.2017
क्षेत्र : श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद जिला बारा		
पस्थिति : अभिभाषक वादी - श्री ललित कुमार शर्मा		अभिभाषक प्रतिवादी -

### वाद शीर्षक

### उनवान

कजोडीबाई पुत्री नेनगा जाति लोधा निवासी अमरपुरा तहसील छीपाबडौद

### बनाम

राज्य सरकार जयें तहसीलदार छीपाबडौद जिला बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प देवरीजोध पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम बाबड के ख0नं0 176 रकवा 10 बीघा 07 विस्वा, ख0 नं0 177 रकवा 2.12 बीघा, का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार छीपाबडौद दिये जाते है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।  
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक **24.06.2017** को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर  
उपखण्ड अधिकारी  
छीपाबडौद जिला बारां

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज ( %)		
10.	योग		